कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक— 922 /अलीगढ़/14208/2015/यूपी- 197, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 26 , 2016

सेवा में,

वन संरक्षक (नाम से)
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़ ।

विषय : अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादों मार्ग (MDR-82W) किमी0 01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक 1301/14–1, दिनांक 24.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयक प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि आप द्वारा प्रस्ताव का बिना परीक्षण किये ही इस कार्यालय को सन्दर्भित कर दिया गया है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है, ऐसी कार्यवाही से जहाँ एक ओर अनावश्यक पत्राचार में समय नष्ट होता है वहीं विभाग की छवि भी धूमिल होती है। भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में इस कार्यालय के पत्रांक–449/11सी, दिनांक 02.09.16 द्वारा विषम परिस्थितियों से अवगत कराते हुए सम्बन्धित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक को प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण–पत्र भी देने के निर्देश दिये गये हैं कि, "**प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भलीभाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्णतः संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा–निर्देशों के अनुरूप है तथा समस्त वांछित अभिलेख/सूचनायें संलग्न हैं।**" अतः निम्नलिखित सूचनाओं को पूर्ण करते हुए प्रस्ताव के साथ उक्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करने का कष्ट करें।

1 प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट में मार्ग का संरेखण एवं प्रस्तावित वनभूमि व गैर वनभूमि को अलग–अलग रंगों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षों के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

3– क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन 20.368 हे0 अवनत वनभूमि हेतु संलग्न किया गया है, किन्तु चयनित स्थल के डिजिटल मानचित्र का क्षेत्रफल 24.044 हे0 अंकित है। ऐसे प्रकरण भारत सरकार के DSS Analysis में उपयुक्त नहीं पाये जाने पर आपत्ति की जाती है। अतः सुसंगत डिजिटल मैप बनाकर व उसकी सी0डी0 आदि प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

4– ऑनलाइन पार्ट–2 में अंकित ईको–क्लास व वानस्पतिक घनत्व त्रुटिपूर्ण है।

5– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–14 District Profile में 07.07.2003 के स्थान पर अद्यावधिक स्थिति अंकित करें।

6– वन संरक्षक के पत्र में किमी0 1 से 30 तक चौड़ीकरण का उल्लेख है, पृष्ठ 16 पर संलग्न अभिलेख में किमी0 6 से 30 का उल्लेख है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न अन्य अभिलेखों व प्रमाण पत्रों में किमी0 1.610 से 16.000 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का उल्लेख अंकित है, जो विसंगतिपूर्ण है।

7– प्रस्ताव के पृष्ठ–16 पर संलग्न अभिलेख के प्रस्तर–4 एवं पृष्ठ–38 व 39 पर संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की गणना से विदित होता है कि परियोजना में गैर वनभूमि भी प्रभावित हो रही है, किन्तु उक्त गैर भूमि की गणना संलग्न नहीं की गयी है, न ही ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(9), बी–2.1 से 2.4 में गैर वनभूमि का क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है। अंकित करें।

8– पृष्ठ–19 से 20 पर संलग्न परियोजना की स्वीकृति में उल्लिखित परियोजना की लागत एवं ऑनलाइन पार्ट–1 में अंकित लागत में भिन्नता है।

9– उपरोक्त बिन्दु–4 के आलोक में ऑनलाइन पार्ट–2 में ईको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के संशोधन के उपरान्त पृष्ठ–60 पर एन0पी0वी0 की संशोधित गणना संलग्न करें।

10– प्रस्तावित वनभूमि का डिजिटल मैप व सी0डी0 संलग्न नहीं है। प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

11 प्रस्ताव के साथ संलग्न स्ट्रिप प्लान से विदित होता है कि मार्ग का कुल R.O.W. 20 मी0 है, विद्यमान मार्ग 12 मी0 चौड़ा है तथा चौड़ीकरण हेतु मार्ग के दोनों ओर 4–4 मी0 वनभूमि प्रस्तावित है। इस प्रकार मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वनभूमि अवशेष नहीं रह जाती, ऐसी स्थिति में प्रस्ताव के पृष्ठ–77 से 79 पर वृक्षारोपण योजना संलग्न किये जाने का क्या औचित्य है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को तीन दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को कदापि न प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 922 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1 प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

2 अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।

26/10/16

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।